



(दिनांक) 26.11.22

प्रेम्य,

प्रभारी अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जनपद स्तर पर सहयोग के विषयक।


महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के ई-मेल दिनांक 25 अप्रैल 2022 के पत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) के सहयोग के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है जिसमें जनपद में एक मात्र गैर सरकारी संस्था में 0 बालाजी सेवा संस्थान देहरादून के द्वारा जनपद के विद्यालयों में तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ को तकनीकी व अन्य सहयोग प्रदान किया जाता है जिसके क्रम में कार्य की सूचना निम्नवत् है।

क्रम	गतिविधि
1.	जिला स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक में सहयोग।
2.	जिला स्तरीय छायाकार दल की बैठक में सहयोग।
3.	जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग।
4.	जिला स्तरीय कार्यशालाओं में सहयोग।
5.	जनपद में विभिन्न स्थानों में आईओडीसीओ में सहयोग।
6.	जनपद स्तर पर किये जाने वाले कैंपन में सहयोग।
7.	जनपद में अर्थदण्ड गतिविधि में सहयोग।

महोदय/महोदया उक्त के क्रम में यह भी आशा की जाती है कि पूर्व की भाँति 30 बालाजी सेवा संस्थान देहरादून व अन्य गैर सरकारी संस्थान भविष्य में भी जन-कल्याण जनपद को तम्बाकू मुक्त किये जाने एवं कोटपा अधिनियम-2002 के अनुपालन करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

अतः महोदय/महोदया का सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य अधिकारी/अधिकारी
उत्तरकाशी।